पत्रांक 1प्रा0आ0–06 / 2016 / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सुपौल, मधेपुरा, शिवहर, सहरसा, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, बेगुसराय, भागलपुर (अति बाढ़ प्रवण 15 जिले)।
बक्सर, सारण (छपरा), नालन्दा (बिहारशरीफ), पूर्णियाँ, अररिया, पश्चिम चम्पारण, शेखपुरा, किशनगंज, पटना, भोजपुर, सिवान, लखीसराय, गोपालगंज (बाढ़ प्रवण 13 जिले) एवं नवादा, मुंगेर, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल।

पटना–15, दिनांक–

विषयः संभावित बाढ़ 2018 की पूर्व तैयारियों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण माने जाते है। इनमें से 15 अति बाढ़ प्रवण जिले हैं। गत् वर्ष भी राज्य के 19 जिले बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। वर्ष 2013 में गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण मुंगेर जिला भी बाढ़ से प्रभावित जिला रहा है। वर्ष 2016 में भी यह जिला बाढ़ से प्रभावित रहा। इसके अतिरिक्त स्थानीय नदियों यथा पुनपुन, फल्गू, कर्मनाशा एवं सोन नदी में पानी बढ़ जाने के कारण नवादा, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद एवं अरवल के भी कुछ हिस्से यदा–कदा बाढ़ से प्रभावित होते रहे है। वर्ष 2016 में गया जिले में भी फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अतः बाढ़ आने के पूर्व की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व में आप सबको बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) भेजी गयी है, जिसमें अद्यतन आदेशों, परिपत्रों, अनुदेशों आदि का संकलन किया गया है। जो परिपत्र पुराने पड़ गए हैं, उनके स्थान पर समय–समय पर विभाग से परिपत्र निर्गत किए जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त मानदर के संबंध में **विभागीय पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 द्वारा वर्ष 2015–2020 तक के लिए अद्यतन संशोधित मानदर को परिचारित किया गया है।** सभी अद्यतन परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर को विभागीय वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर अपलोड करते हुए **Circular** के अन्तर्गत रखा गया है। मानक संचालन प्रक्रिया भी विभागीय website पर अपलोड की गयी है। मानक संचालन प्रक्रिया एवं नए अद्यतन परिपत्रों / संशोधित मानदर के आलोक में बाढ़ पूर्व तैयारियाँ की जानी है। साथ ही बाढ़ आने की दशा में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बाढ़ आपदा से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाने हैं। परन्तु यदि हमारी तैयारियाँ (Preparation) ससमय पूर्ण हो जाएगी तो बाढ़ आपदा का मुकाबला हम सक्षमता एवं प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।

बाढ़ पूर्व तैयारियों हेतु उठाए जाने वाले कदम निम्नानुसार होंगे :

1. **वर्षा मापक यंत्र**

वर्षा मापक यंत्रों की आवश्यकतानुसार मरम्मति एवं उनको चालू हालत में रखा जाय। वर्षा मापक यंत्रों के रिडिंग हेतु प्रत्येक प्रखंड में 2 प्रशिक्षित कर्मियों का निर्धारण किया जाय, साथ ही वर्षापात् आंकड़े के त्वरित प्रेषण की व्यवस्था की जाय।

2. **संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान**

बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की अद्यतन पहचान कर ली जाय। इस कार्य हेतु विगत वर्षों में आयी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्ति समूहों के आंकड़ों का उपयोग किया जाय। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, निराश्रितों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं की सूची विशेष रूप से तैयार की जाय।

3. **संसाधन मानचित्रण**

बाढ़ सुरक्षा हेतु गाँव, पंचायतों एवं प्रखंड में उपलब्ध संसाधनों का मानचित्रण किया जाय। अंचल में उपलब्ध निजी नाव मालिकों से एकरारनामा कर लिया जाय। पुरानी सरकारी नावों की गहनी/मरम्मति कराकर उन्हें प्रचालन योग्य बनाया जाय। निजी नाव मालिकों एवं चालकों के पूर्व के बकाये भुगतानों के मामलों को तुरंत निपटा दिया जाय। नाव की सुरक्षा हेतु नावों पर भार क्षमता का चिन्ह लगाया जाय। जेनरेटर सेट, पेट्रोमेक्स, टेन्ट, खाली सीमेन्ट की बोरियों इत्यादि की उपलब्धता का विशेष रूप से मानचित्रण किया जाय एवं इनके आपूर्त्तिकर्त्ताओं की सूची बनाकर भाड़े का निर्धारण कर लिया जाय।

4. **तटबंधों की सुरक्षा**

जिला के अन्तर्गत तटबंधों का निरीक्षण करा संवेदनशील स्थलों पर तटबंधों का सुदृढ़ीकरण/मरम्मति करवाई जाए। इस क्रम में जल संसाधन विभाग से सतत् सर्म्पक रखा जाय।

जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों से तटबंधों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर लें एवं जहां सुदृढ़ीकरण करना हो उसे मॉनसून आने के पूर्व तक अवश्य कर लें। जल संसाधन विभाग से यह भी अनुरोध है कि आवश्यकतानुसार चिन्हित बिन्दुओं पर खाली बोरे, लोहे का जाल तथा बालू की व्यवस्था रखे ताकि तटबंध सुरक्षा का कार्य आवश्यकता पड़ने पर तुरंत शुरू किया जा सके।

नदियों में उफान आने पर तटबंधें की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कर लिया जाय। इसके लिए चौकीदार/होमगार्ड की सेवाएं ली जा सकती हैं और जल संसाधन एवं अन्य विभाग के कनीय अभियंताओं के साथ उन्हें प्रतिनियुक्त कर पेट्रोलिंग टीम बनाई जा सकती है। पेट्रोलिंग टीम का यह दायित्व रहेगा कि किसी भी बिन्दु पर कटाव होने की सूचना प्रखंड/जिला प्रशासन तथा जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को तुरंत दें। यह भी आशंका रहती है कि ग्रामीणों के द्वारा कतिपय स्थलों पर तटबंध काट दिया जाए। पेट्रोलिंग पार्टी यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार का कोई प्रयास सफल न हो।

5. **सूचना व्यवस्था**

जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह व्यवस्था कर लिया जाए कि जिला के अन्तर्गत आनेवाली नदियों के विभिन्न स्थलों पर जल स्तर की सूचना वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रतिदिन प्राप्त हो। इसके लिए पुलिस वायरलेस का उपयोग किया जा सकता है। संबंधित नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाले वर्षापात की सूचना जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे। यह सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन के क्षेत्रीय कर्मचारी (जन सेवक, कर्मचारी, पंचायत सेवक) के माध्यम से प्रखंड एवं अंचल को तथा प्रखंड/अंचल से आपको किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आने की सूचना तुरंत दे। जिला स्तर पर ऐसी संचार योजनाएं बनायी जाय जिससे कि क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रशिक्षित स्वयं सेवकों और मोटरवोट चालकों के साथ लगातार व्यवधान रहित सम्पर्क रखा जा सके।

6. **नाव**

सरकारी नावों की मरम्मति करा लें एवं उन्हें निबंधित करा लें। जिला के अन्तर्गत उपलब्ध निजी नावों का ब्यौरा प्राप्त कर इसका सत्यापन (Verification) करा लें। जहां नाव देने की आवश्यकता होती है उसकी सूची बना लें तथा उन स्थलों पर तैनात किए जाने वाले नाव तथा नाविक को पहले से चिन्हित कर दें। बाढ़ आने पर प्रतिनियुक्ति आदेश तुरंत जारी कर दें तथा उपर्युक्त स्थल पर नाव चल रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय–समय पर करवायें। चलाये जा रहे नावों पर तख्ती लगा रहे जिसपर अंकित रहे कि **"यह राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क सेवा है"**। चलाये जाने वाले नाव निश्चित स्थल/घाट से चलेंगे। उक्त घाट पर सूचना पट्ट लगा रहना आवश्यक है, जिसमें नाविक का नाम तथा संचालन अवधि अंकित रहेगी। नावों की भार क्षमता का आकलन मोटर यान निरीक्षक से कराकर नावों की निर्धारित भार क्षमता अंकित करा दिया जाए ताकि ओवर लोडिंग के कारण नाव दुर्घटनाएँ न हो सके।

7. **पालीथीन शीट्स, सत्तु गुड़, चूड़ा आदि की व्यवस्था**

आवश्यकतानुसार विस्थापितों के लिए पालीथीन शीट्स का आकलन मॉनसून पूर्व सुनिश्चित कर लें एवं संबंधित नोडल जिले को पालीथीन शीट्स की आवश्यकता का आकलन कर अधियाचना कर लिया जाय। विभागीय पत्रांक–1155 दिनांक–20.04.2018 द्वारा पालीथीन शीट्स का क्रय एवं भंडारण के संबंध में निदेश दिये गये है। बाजार में चूड़ा, गुड़, सत्तु आदि की उपलब्धता का जायजा करा लें तथा rate contract करा लें ताकि आवश्यकतानुसार उपलब्धता में विलंब न हो। राहत पैकेट तैयार करने हेतु टीमों का भी गठन कर लिया जाय।

8. **शरण स्थल**

प्रायः यह देखा गया है कि बाढ़ आने पर प्रभावित परिवार तटबंधों पर अथवा रोड किनारे शरण लेते हैं। वैसी जगहों पर समुदायिक रसोई (Community Kitchen) का संचालन करने हेतु शरण स्थलों को पूर्व से ही चिन्हित कर लें। यह स्थल ऊँचे स्थानों पर स्कूल भवन, पंचायत भवन अथवा अन्य ऊँची भूमि आदि हो सकती है। बांध पर अथवा सड़क के किनारे जहां लोग अमूमन शरण लेते हैं वहां पूर्व से आवश्यक तैयारी रहनी चाहिए। बाढ़ आपदा के पूर्व ऊँचे शरण स्थलों की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। संभावित शरण स्थलों की पहचान और उनके प्रबंधन की विशेष योजना पूर्व से बना ली जाय। साथ ही, शरण स्थलों पर आने वाले बाढ़ प्रभावितों

के रजिस्ट्रेशन कार्य हेतु प्रत्येक शरण स्थल पर एक रजिस्ट्रेशन काउन्टर की व्यवस्था हों जो रजिस्ट्रेशन–सह–नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा। रजिस्ट्रेशन–सह–नियंत्रण कक्ष में ध्वनि–विस्तारक यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। शरण स्थलों पर स्वच्छ पेयजल, पुरूषों एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालय, मेडिकल कैम्प, संचार, प्रकाश एवं साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था, नवजात शिशुओं के टीकाकरण, प्रसव की व्यवस्था, भोजन बनाने के उपस्कर एवं स्थल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, टेन्ट, मच्छरदानी, 6 माह से 2 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष भोजन, सेनेटरी किट जैसे–महत्वपूर्ण एवं मानवीय बिन्दुओं पर विशेष रूप से योजनाएं बना ली जाय। अत्यन्त बाढ़ प्रवण जिला में मेगा शिविर लगाने हेतु स्थानों का चयन पूर्व से कर लिया जाय, ताकि आकस्मिकता के समय इसे व्यवहृत किया जा सके। विभागीय पत्रांक–3174 दिनांक–24.08.2016 एवं पत्रांक–2368 दिनांक–15.08.2017 तथा समय–समय पर यथा संशोधित पत्रों के द्वारा राहत केन्द्र/समुदायिक रसोई के संचालन के संबंध में निदेश प्रेषित है, जो विभागीय बेवसाईट पर भी उपलब्ध है।

9. **मानव दवा की व्यवस्था**

जिला पदाधिकारी सिविल सर्जन के परामर्श से आवश्यक दवाओं का आकलन एवं भंडारण सुनिश्चित कर लें। बाढ़ आने की दशा में विभिन्न जल जनित बीमारियों के प्रकोप की संभावना होती है। अतः जिला अस्पतालों/ अनुमंडल एवं रेफरल अस्पतालों/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा उपकेन्द्रों पर सर्प काटने की दवाएं, क्लोरिन टैबलेट, ओ0आर0एस0 घोल के पैकेट, हैलोजन टैबलेट, एन्टी रेबीज की सूईयां, एन्टीबायोटिक दवाएं, ब्लीचिंग पाउडर आदि का पर्याप्त भंडारण कर लिया जाय।

10. **मोबाईल मेडिकल टीम एवं मेडिकल कैम्प**

यथा सम्भव सभी शरण स्थल पर मेडिकल कैम्प के लिए आवश्यक चिकित्सक/पारा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराये जाएँ। बड़े शरण स्थलों के लिए मेडिकल कैम्प लगाएं तथा शेष शरण स्थलों के लिए मोबाईल मेडिकल टीम गठित करें। प्रत्येक मोबाइल टीम के साथ दो या तीन शरण स्थली सम्बद्ध रहेंगे। सम्बद्ध शरण स्थलों पर मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति निर्धारित समय से पूर्व ही कर ली जाए।

11. **पशु चारा एवं पशु दवा की व्यवस्था**

बरसात के दौरान/बाढ़ के समय पशु–संसाधन विभिन्न प्रकार की बिमारियों के शिकार होते हैं। चयनित शरण स्थली के निकट पशु चिकित्सा शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बाढ़ के दौरान सत्यापन कर यह सुनिश्चित करें कि यह शिविर कार्यरत है। पशु चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार पशु संसाधन विभाग के परामर्श से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। बाढ़ प्रवण जिलों में पशु आश्रय स्थल के साथ–साथ पशु–चारा की उपलब्धता एवं आवश्यकता का ऑकलन पूर्व से कर ली जाय ।

12. **शुद्ध पेयजल की व्यवस्था**

बाढ़ प्रभावित गाँवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु चापाकल को उँचे स्थानों पर गाड़ने की व्यवस्था तथा पेयजल के परिवहन आदि से संबंधित व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाय। पेयजल की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में क्लोरिन टेबलेट की व्यवस्था कर ली जाए एवं बाढ़ प्रवण पंचायतों

में इन टेबलेट्स के उपयोग का प्रशिक्षण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से समय–पूर्व सुनिश्चित करा लिया जाए।

13. **जेनरेटर सेट/पेट्रोमेक्स/महाजाल की व्यवस्था**

जेनरेटर सेट, पेट्रोमेक्स, टेन्ट, खाली सीमेन्ट की बोरियों इत्यादि की उपलब्धता का विशेष से मानचित्रण किया जाय एवं इनके आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची बनाकर भाड़े का निर्धारण कर लिया जाय। जिलों को महाजाल क्रय करने का निर्देश पूर्व में दिया गया है। जहाँ महाजाल का क्रय नहीं हो सका हो वहाँ महाजाल का क्रय ससमय कर लिया जाए। अधियाचना प्राप्त होने पर महाजाल के लिए राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

14. **राज्य खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की उपलब्धता एवं खाद्यान्न के संधारण हेतु गोदामों का चिन्हितकरण**

राज्य खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न का आंकलन कर लिया जाय तथा संभावित बाढ़ के पूर्व ही आवश्यकतानुसार खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित कराया जाय। इसके लिए पंचायत एवं प्रखंडस्तर पर सरकारी/निजी भवनों की पहचान कर ली जाय जिन्हें मुफ्त खाद्यान्न के वितरण केन्द्र के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। राज्य खाद्य निगम का पूर्व से लंबित बकाये का भुगतान शीघ्र कर लिया जाय।

15. **सड़कों की मरम्मति**

बाढ़ के पूर्व जिले की मुख्य सड़कों, विशेषकर जिला मुख्यालय से प्रखंड/अंचलों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मति करा ली जाय। पुल–पुलियों की भी मरम्मति करके उन्हें यातायात के लिए सुगम बना लिया जाय।

16. **नाव/लाईफ जैकेट/मोटरवोट के परिनियोजन की आकस्मिक व्यवस्था**

बाढ़ के समय जिले के किसी भी स्थान पर किसी भी समय लोगों को बचाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः नाव, लाईफ जैकेट, मोटरवोट आदि के परिनियोजन हेतु एक आकस्मिक योजना तैयार कर ली जाय। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिलों में गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को मोटरबोट परिचालन में प्रशिक्षित किया गया है एवं उन्हें आपदा राहत एवं बचाव दल का किट भी उपलब्ध कराया गया है। अतः जिलों में मोटरबोट परिचालन में प्रशिक्षित गृह रक्षा वाहिनी के जवानों की प्रतिनियुक्ति हेतु भी योजना तैयार कर ली जाय।

17. **नोडल पदाधिकारी/ जिलास्तरीय टास्क फोर्स**

बाढ़ पूर्व तैयारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्ध मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। **नोडल पदाधिकारियों का नामांकन, उनका प्रशिक्षण, प्रखण्ड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर इनकी प्रतिनियुक्ति, क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, खोज एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, मोटरवोट चालकों आदि की प्रतिनियुक्ति 15 जून से पूर्व कर लिया जाय।** मानव संसाधनों का समन्वय इनके सर्वोत्तम उपयोग के लिए आवश्यक है। जिलास्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बाढ़ से जुड़े सभी विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारियों का टास्क फोर्स गठित कर लिया जाय। टास्क फोर्स द्वारा समय–समय पर बैठक कर विभिन्न विभागों द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की जाय।

18. जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र–सह–नियंत्रण कक्ष

राज्य स्तर के अनुरूप जिला स्तर पर भी संचार माध्यमों से लैस स्थायी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाय। जिले मे उपलब्ध बाढ़ के पूर्व खोज एवं बचाव यंत्रो की सूची तैयार कर नियंत्रण कक्ष में रखा जाय। नियंत्रण कक्ष में टॉल फ्री दूरभाष / टेलीफोन की व्यवस्था की जाय, ताकि आम जनता से विभिन्न क्षेत्रों से शीघ्र सूचना प्राप्त की जा सके। किसी वरीय पदाधिकारी को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बना दिया जाए। जिला नियंत्रण कक्ष हमेशा राज्य नियंत्रण कक्ष के संपर्क में रहेंगे।

19. गोताखोरों का प्रशिक्षण

बाढ़ आपदा एवं नाव दुर्घटना के समय लोगों को डूबने से बचाने एवं डूबे व्यक्तियों का शव बरामद करने हेतु गोताखोरों को प्रशिक्षित किया गया है एवं इन्हे राहत बचाव संबंधित किट उपलब्ध कराया गया है। इन प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची एवं मोवाईल / दूरभाष नम्बर जिले के नियंत्रण कक्ष में संधारित कर रखा जाय एवं आवश्यकता के अनुरूप इनका उपयोग किया जाय। **गोताखोरों को मानदेय प्रदान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 4400 दिनांक 26.12.2011 द्वारा आपको प्रेषित है, जो विभागीय वेवसाईट पर उपलब्ध है।**

20. समुदाय का प्रशिक्षण

किसी भी आपदा के समय समुदाय आपदा का पहला रेस्पांडर होता है। बाढ़ के दौरान समुदाय के लोगों को राहत एवं बचाव कार्यों के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाने हेतु **क्षमतावर्द्धन (Capacity Building)** योजना के तहत प्रत्येक बाढ़ प्रवण जिलों के बाढ़ प्रवण प्रखण्डों में पंचायतों से तथा विशेष रूप से कमजोर समुदाय, अनुसूचित जाति टोलों, से अनुसूचित जाति के युवकों का चयन कर इन्हें प्रशिक्षित किया गया है। समुदाय के इन प्रशिक्षित लोगों का उपयोग बाढ़ के दौरान आवश्यकता पड़ने पर **राहत एवं बचाव दल** के रूप में किया जाए एवं **प्रतिनियुक्ति के दौरान इन्हें आबादी निष्क्रमण मद से दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाय।**

21. राहत एवं बचाव दल का गठन

बाढ़ प्रवण प्रखण्डों के पंचायतों में यथानुसार समुदाय के प्रशिक्षित व्यक्तियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रखंड / अंचल के कर्मियों, प्राथमिक उपचार में दक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं, होमगार्डो , नागरिक सुरक्षा कर्मियों एवं पुलिस के जवानों को मिलाकर बाढ़ आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु "राहत एवं बचाव दल" गठित किया जाय एवं उनकी विस्तृत सूचना जिला नियंत्रण कक्ष में संधारित की जाय।

22. तैयारियों का अभ्यास

बाढ़ तैयारी के संबंध में स्वयंसेवकों / क्षेत्रीय कर्मचारियों / गैर सरकारी संगठनों के साथ Mock Exercise/ Mockdrill का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाय। इसमें बाढ़ प्रवण पंचायतों के NGO का उचित प्रशिक्षण भी जिला स्तर से की जाय।

23. आकस्मिक फसल योजना का सूत्रण

कृषि विभाग द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए आकस्मिक फसल योजना बना ली जाय। इस योजना में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की फसल / बिचड़ों की क्षति होने पर बिचड़े उपलब्ध कराना एवं वैकल्पिक फसल उगाने की योजना शामिल होगी।

जिला स्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में की गयी कार्रवाई की समीक्षा के लिए बैठक 31 मई, 2018 तक आयोजित किया जाय तथा तैयारी

के संबंध में विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय। बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा विभाग द्वारा यथा समय विडियो कॉफ्रेन्सिंग एवं प्रमण्डलीय स्तर पर बैठको के माध्यम से की जायेगी।

आशा है **सभी जिले इस वर्ष के संभावित बाढ़ से निपटने हेतु पूरी तैयारी दिनांक 30 जून 2018 तक** कर लेंगे ताकि जन सामान्य को बाढ़ आपदा से राहत पहुँचाने में हमलोग सफल हो सके।

नोटः— 1. बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में उठाए जाने वाले उपरांकित कदम उदाहरण स्वरूप (illustrative) हैं, परिपूर्ण (exhaustive) नहीं। जिला— विशेष अपने जिले में बाढ़ के इतिहास एवं समय—समय पर विभिन्न स्त्रोतों से मानसून एवं नदियों में जलस्तर के संबंध में प्राप्त पूर्वानुमानों को ध्यान में रख बाढ़ पूर्व तैयारियॉ सुनिश्चित करेंगे।

2. बाढ़ पूर्व तैयारियों हेतु सभी बाढ़ प्रवण जिलों को अलग से राशि आवंटित की जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/—
प्रधान सचिव

ज्ञापांक—.........../आ0प्र0 पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ। कृपया अपने प्रमण्डलों में बाढ़ पूर्व तैयारियाँ ससमय सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए।

ह0/—
प्रधान सचिव

ज्ञापांक—.........../आ0प्र0 पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपिः कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव/ सचिव, कृषि विभाग/ पशुपालन एवं मत्स्य विभाग/ समाज कल्याण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/गृह विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/परिवहन विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/पंचायती राज विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/शिक्षा विभाग/नगर विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ निदेशक सांख्यिकी निदेशालय/क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य असैनिक आपूर्त्ति निगम को सूचनार्थ। अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित बाढ़ पूर्व तैयारियॉ ससमय कर ली जॉय एवं बाढ़ आपदा प्रबंधन की राज्य एवं जिलास्तर पर आकस्मिक योजना शीघ्र तैयार कर ली जाए।

ह0/—
प्रधान सचिव

ज्ञापांक—............/आ0प्र0 पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपिः सभी बाढ़ प्रवण जिलों के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिलों का भ्रमण कर बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की जाए।

ह0/—
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–............/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः महानिदेशक–सह–नागरिक सुरक्षा आयुक्त/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–............/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः सभी बाढ़ प्रवण जिलों के प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–...1253/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 10/5/18.

प्रतिलिपिः आप्त सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव